प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, उदयपुर थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2022
प्र.इ.रि.स 232/22 दिनांक 15/6/2022
2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट 1988 धाराएं 7, 7 ए पी.सी.एक्ट (संशोधित) 2018
(2) अधिनियम भा.द.स. – 120 बी भा.द.सं.
(3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –
3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या 288 समय 7:25 Pm
(2) अपराध के घटने का दिन मंगलवार दिनांक 14.06.2022 समय 5.19 पी.एम.
(3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 11.06.2022 समय 04.30 पी.एम.
4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटना स्थल : –
(1) थाने से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग 420 किलोमीटर
(2) पता – सविना चौराया वर्धमान मेडिकल स्टोर के पास, उदयपुर।
.... बीट संख्या .... जरायमदेही संख्या ......
(3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .... जिला ....
6. परिवादी/सूचनाकर्ता –

<u>परिवादी</u>

(1) नाम : श्री दिग्विजय सिंह
(2) पिता का नाम : स्व. श्री अर्जुन सिंह
(3) आयु : 50 साल
(4) राष्ट्रीयता : भारतीय
(5) पासपोर्ट संख्या .... जारी होने की तिथि .... जारी होने की जगह ....
(6) व्यवसाय : मेडिकल स्टोर संचालक
(7) पता : मकान नम्बर C–23, प्रतापनगर उदयपुर
7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
   1. श्री चैतन्य प्रकाश पंवार पुत्र श्री सोहनलाल पंवार उम्र 37 वर्ष मूल निवासी जटियो का बांस, बिलाडा जिला जोधपुर हाल निवासी मकान नं. 15, गली नं. 2, धुलकोट चौराहे के पास, उदयपुर हाल सहायक औषधि नियंत्रक, कार्यालय सहायक औषधि नियंत्रक, बडी जिला उदयपुर।
   2. श्री धीरज शर्मा पुत्र श्री महेन्द्र शर्मा उम्र 35 वर्ष निवासी जैन गली, जैन मंदिर के पास, बयाना जिला भरतपुर हाल निवासी 31, भिक्षु नगर, समता नगर बेदला, उदयपुर हाल औषधि नियंत्रक अधिकारी, कार्यालय सहायक औषधि नियंत्रक, बडी जिला उदयपुर।
   3. श्री अंकित जैन पुत्र श्री इन्द्ररलाल जैन उम्र 25 वर्ष मूल निवासी गांधी चौक सराडा, पुलिस थाना सराडा जिला उदयपुर हाल किराये का मकान स्थित मकान नम्बर 15, नया माछला मगरा सेक्टर 11, उदयपुर हाल दुकान मालिक, ब्रिटिश फार्मा, मधुबन, उदयपुर।
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण –
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

क्रम. सं.	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित मूल्य	वस्तु स्थिति
1.	भारतीय चलन मुद्रा	22,000 रूपये	आरोपीगण के द्वारा

परिवादी से दिनांक 14–6–22 को 22,000 रूपये रिश्वती राशि मांगकर ग्रहण करना।

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 22,000 रूपये रिश्वत राशि
11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

सेवामे,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों
उदयपुर।

विषय :– रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकडाने के सबंध में।

महोदय जी,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मै दिग्विजय सिंह शक्तावत s/o स्व. अर्जुन सिंह शक्तावत निवासी C–23, प्रतापनगर उदयपुर की मेडिकल शोप अन्जु मेडिकल स्टोर ग्लास फैक्ट्री शोप न. 7, सुन्दरवास उदयपुर पर है। जो दि. 11.06.2022 को समय करीब 12:42 पी.एम. को औषधि अनुग्ज्ञापत अधिकारी व सहायक औषधि नियन्त्रक व ड्ग्र कन्टोलर अधिकारी श्री चेतन्य प्रकाश पंवार ADC व धीरज शर्मा DCO आए व नारकोटिक्स व अन्य दवाईयो का लेखा जोखा उसी समय उपलब्ध कराने की धमकी देने लगे। लेखा जोखा उसी समय नहीं उपलब्ध कराने पर फर्जी नारकोटीक केस दर्ज करने की धमकी देने लगे व एक लाख (Rs.100000) रूपये की रिश्वत राशि की मांग करने लगे तथा बोला की राशि की आज ही व्यवस्था करके रखो, हम कुछ समय बाद वापिस आते है। मै अपने जाईज काम के बदले रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूॅं, दोनो भ्रष्ट अधिकारियों को रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूॅं। मेरा इनसे व्यक्तिगत कोई लेन–देन व रंजिश नहीं है। कृपया कार्यवाही कानूनी कार्यवाही करावे।

दिनांक :– 11.06.2022

एसडी (श्री पुरूषोतम आचार्य)   एसडी (श्री अशोक कुमार सैनी)

प्रार्थी
एसडी
मै दिग्विजय सिंह शक्तावत
s/o स्व. अर्जुन सिंह शक्तावत
निवासी सी–23, प्रतापनगर उदयपुर।

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 11.06.2022 को समय 04.30 पी.एम. पर परिवादी श्री दिग्विजय सिंह शक्तावत s/o स्व. अर्जुन सिंह शक्तावत उम्र 50 वर्ष निवासी C–23, प्रतापनगर उदयपुर पेशा मेडिकल शॉप अन्जु मेडिकल स्टोर ग्लास फैक्ट्री शोप न. 7, सुन्दरवास उदयपुर ने कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर में उपस्थित होकर श्री उमेश ओझा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एक हस्तलिखित रिपोर्ट पेश की। उक्त लिखित रिपोर्ट इस आशय की थी कि "मै दिग्विजय सिंह शक्तावत s/o स्व. अर्जुन सिंह शक्तावत निवासी C–23, प्रतापनगर उदयपुर की मेडिकल शोप अन्जु मेडिकल स्टोर ग्लास फैक्ट्री शोप न. 7, सुन्दरवास उदयपुर पर है। जो दि. 11.06.2022 को समय करीब 12:42 पी.एम. को औषधि अनुग्ज्ञापत अधिकारी व सहायक औषधि नियन्त्रक व ड्ग्र कन्टोलर अधिकारी श्री चेतन्य प्रकाश पंवार ADC व धीरज शर्मा DCO आए व नारकोटिक्स व अन्य दवाईयो का लेखा जोखा उसी समय उपलब्ध कराने की धमकी देने लगे। लेखा जोखा उसी समय नहीं उपलब्ध कराने पर फर्जी नारकोटीक केस दर्ज करने की धमकी देने लगे व एक लाख (Rs.100000) रूपये की रिश्वत राशि की मांग करने लगे तथा बोला की राशि की

आज ही व्यवस्था करके रखो, हम कुछ समय बाद वापिस आते है।'' मै अपने जाईज काम के बदले रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूँ, दोनो भ्रष्ट अधिकारियों को रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। मेरा इनसे व्यक्तिगत कोई लेन–देन व रंजिश नहीं है। कृपया कार्यवाही कानूनी कार्यवाही करावे।

जिस पर श्री उमेश ओझा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मन् पुलिस निरीक्षक को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी से आपस में परिचय करवाकर परिवादी की पेशशुदा रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी एवं उसके द्वारा लिखित रिपोर्ट को साथ लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आया। मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा परिवादी से मजीद पूछताछ की गयी, तो मामला रिश्वत राशि लेनदेन का पाया जाने से मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा ब्यूरो कार्यालय के मालखाने से डिजिटल टेप रिकार्डर को कानि श्री टीकाराम से मंगवाया जाकर परिवादी को उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर के संचालन की विधि को भलीभांति समझाया गया। इसके उपरान्त श्री टीकाराम कानि. का परिवादी श्री दिग्विजय सिंह से आपस में परिचय करवाया गया तथा श्री टीकाराम कानि. मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर को परिवादी के साथ जाकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु तथा संदिग्ध व्यक्तियों की आम शोहरत की जानकारी भी कर लाने की हिदायत देकर परिवादी के साथ रवाना सुंदरवास किया था जो बाद मांग सत्यापन वार्ता के ब्यूरों कार्यालय उदयपुर पर उपस्थित आए और मन् पुलिस निरीक्षक श्री हरिश्चन्द्र सिंह को कानि श्री टीकाराम ने बताया था कि ''मै व परिवादी श्री दिग्विजय सिंह ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर मेडिकल शोप अन्जु मेडिकल स्टोर ग्लास फैक्ट्री शोप न. 7, सुन्दरवास उदयपुर पर पहुंच कर मैने परिवादी को डिजिटल टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर संदिग्ध से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने की हिदायत दी। मैं कुछ दूरी पर अपनी उपस्थिति छूपाते हुए खडा रहा। कुछ ही देर में एक सफेद कलर की कार मेडिकल शॉप के बाहर आकर रूकी थी। परिवादी उस कार में जाकर बैठा। कुछ देर बाद परिवादी वापस से बाहर आया और दुकान में जाकर पुनः कार में बैठा था। फिर उसके बाद कार से बाहर आया। जिसके बाद कार वहां से चली गयी। तत्पश्चात परिवादी श्री दिग्विजय सिंह मेरे पास आया तथा ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकार्डर बंद करके मुझे सूपुर्द किया, जिसे मैंने अपने पास सुरक्षित रखा।'' जिस पर परिवादी ने श्री टीकाराम कानि के कथनों की ताईद करते हुए बताया कि ''मेरे शॉप के पास गाडी आर जे 30 सीबी 3209 आकर रूकी थी। जिसमें से कार में बैठे श्री धीरज शर्मा DCO ने हाथ का ईशारा देकर मुझे कार में बुलाया था। जिस पर मैं मेडिकल शॉप से उनकी कार में जाकर बैठा था तो कार में अधिकारी श्री धीरज शर्मा DCO के अलावा श्री चेतन्य प्रकाश पंवार ADC भी बैठे हुए थे। ड्राईविंग सीट पर श्री धीरज शर्मा तथा पास वाली सीट पर श्री चेतन्य प्रकाश पंवार ADC बैठे थे। श्री चेतन्य प्रकाश पंवार ADC व धीरज शर्मा DCO द्वारा नारकोटिक्स व अन्य दवाईयो का लेखा जोखा उसी समय उपलब्ध कराने की धमकी देने लगे। लेखा जोखा उसी समय नहीं उपलब्ध कराने पर नारकोटीक केस दर्ज करने की धमकी देने लगे व श्री चेतन्य प्रकाश पंवार ADC ने अपने मोबाइल फोन में टाईप करके 50,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग करते हुए मोबाईल की स्क्रीन पर मुझे दिखा कर बोला कि राशि की आज ही व्यवस्था कर लो और लियाओ जितने है, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करेंगे उसके बाद मै गाडी से उतर कर अपनी शॉप पर गया। तब मैंने अपनी शॉप पर जाकर डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चैक करने के लिए मैंने डिजिटल टेप रिकॉर्डर को बंद कर पुनः टेप रिकॉर्डर को मैंने चालू करके अपने पास सुरक्षित रख लिया। उस समय तक मेरे शॉप का कलेक्शन 8,000 रूपये था। मैं उक्त राशि को लेकर पुनः गाडी की तरफ गया और गाडी में बैठकर उनसे काफी रिक्वेस्ट की रिश्वत राशि 8,000 रूपये देने लगा तो नाराजगी व्यक्त करने लगे। तत्पश्चात् मैने कहा की बाकी के रूपये मैं दस और दस बीस करके दे देता हु तो दोनो अधिकारी मुझ पर भडक गये और मुझे पुलिस थाना प्रतापनगर की तरफ ले जाने लगे। जिस पर मेरे द्वारा हाथाजोडी करने पर मेरी शॉप से 15–20 मीटर आगे स्थित पेट्रोल पम्प से पहले गाडी को रोक कर रिश्वत राशि 50,000 रूपये मोबाइल में टाईप पर देने को कहा तो मेरे द्वारा बहुत विनती करने पर दोनों अधिकारी 30,000 रूपये रिश्वत राशि लेने के लिए सहमत हुए। दौराने मांग सत्यापन अधिकारियों द्वारा मेरे से 8000 रूपये ले लिये तथा शेष राशि ब्रिटीस फार्मा महावीर काम्पलेक्स में (दिनांक 13.06.2022) सोमवार को रखने हेतु बताया गया। उक्त वार्ता को मैने ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली।'' जिस पर कानि. श्री टीकाराम के द्वारा पेश डिजिटल टेप रिकॉर्डर को सुना गया तो कानि. व परिवादी के कथनो की ताईद होना व रिश्वत राशि मांग सत्यापन की पुष्टि

होना पाया गया। जिस पर डिजिटल टेप रिकॉर्डर को मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया तथा परिवादी श्री दिग्विजय सिंह शक्तावत को दिनांक 13.06.2022 प्रातः संदिग्ध को दी जाने वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था कर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने हेतु पांबद कर मुनासिब हिदायत के रूखसत किया।

दिनांक 13–6–2022 को समय 10.00 ए.एम. पर परिवादी श्री दिग्विजय सिंह मय आरोपीगणों को उनकी मांग अनुसार दी जाने वाली रिश्वत राशि 22,000 रूपये लेकर ब्यूरो कार्यालय उदयपुर पर उपस्थित हुआ। जिसके उपरांत उक्त कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद उदयपुर के नाम तेहरीर जारी कर स्वतंत्र गवाहान की तलबी की गयी तो श्री पुरूषोतम आचार्य पिता श्री मनोहर नारायण आचार्य उम्र–42 वर्ष निवासी–न्यू कॉलोनी पोस्ट आमेट जिला राजसमन्द मूल पदस्थापन कनिष्ठ सहायक पंचायतीराज विभाग पंचायत समिति कुराबड हाल जिला परिषद् उदयपुर एवं श्री अशोक कुमार सैनी पिता श्री भागीरथ मल सैनी उम्र–39 वर्ष निवासी–119, गोविन्द नगर सेक्टर नम्बर 13, हिरण मगरी उदयपुर मूल पदस्थापन कनिष्ठ सहायक पंचायतीराज विभाग पंचायत समिति गिर्वा हाल जिला परिषद् उदयपुर उपस्थित कार्यालय हुऐ। जिनसे आपस में परिचय करने के उपरांत परिवादी से भी परिचय कराया गया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनो स्वतन्त्र गवाहन से ब्यूरों द्वारा की जा रही गोपनीय कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाहन उपस्थित रहने हेतु सहमति चाही गई, जिस पर दोनो गवाहान ने अपनी–अपनी मौखिक सहमति व्यक्त की तथा परिवादी श्री दिग्विजय सिंह द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना–पत्र भी दोनो गवाहान को पढकर सुनाया। रिपोर्ट पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान ने भी अपने–अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात ब्यूरो इकाई चौकी स्पेशल यूनिट उदयपुर से भी इमदाद हेतु श्री रतनसिंह पुलिस निरीक्षक मय कानि श्री भारत सिंह एवं श्री राजेश कानि उपस्थित कार्यालय हुए। उसके बाद मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा ब्यूरो कार्यालय के मालखाने में से डिजिटल टेप रिकॉर्डर मंगवाया गया था जिसमें दिनांक 11–6–22 को परिवादी एवं आरोपीगण श्री चैतन्य प्रकाश पंवार, श्री धीरज शर्मा की रिकॉर्डशुदा वार्ता को परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष चलाकर सुनाई गयी तो दोनो स्वतंत्र गवाहान ने भी संदिग्धों के द्वारा रिश्वत राशि के मांग सत्यापन वार्ता की पुष्टि की। जिसके उपरांत उक्त वार्ता की मूल एवं डब सीडी तैयार कर मूल सीडी को लेपटॉप से चलाकर उसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की। तत्पश्चात् दोनो गवाहान के समक्ष ही मन् पुलिस निरीक्षक हरिश्चन्द्र सिंह के द्वारा परिवादी श्री दिग्विजय सिंह से आरोपीगणों को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से 500–500 हजार के 44 नोट कुल 22,000 हजार रूपये भारतीय चलन मुद्रा के पेश किये। उपरोक्त समस्त नोटों के नम्बर निम्नानुसार है : –

1	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5TC	502350
2	500 रूपये का एक नोट नम्बर	9VP	266938
3	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3MM	939632
4	500 रूपये का एक नोट नम्बर	2NF	559238
5	500 रूपये का एक नोट नम्बर	2PH	045554
6	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7WM	559160
7	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1LH	399185
8	500 रूपये का एक नोट नम्बर	2NM	093711
9	500 रूपये का एक नोट नम्बर	2AA	162122
10	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7QG	092062
11	500 रूपये का एक नोट नम्बर	9KQ	651647
12	500 रूपये का एक नोट नम्बर	0EL	809279
13	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5HV	949810
14	500 रूपये का एक नोट नम्बर	9PR	584096
15	500 रूपये का एक नोट नम्बर	4NQ	780878
16	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7CL	947336
17	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7CL	971949
18	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1AH	764820
19	500 रूपये का एक नोट नम्बर	4TV	710883
20	500 रूपये का एक नोट नम्बर	2UB	228010

21	500 रूपये का एक नोट नम्बर	6UU	147720
22	500 रूपये का एक नोट नम्बर	0BF	234730
23	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8CH	294912
24	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8MV	414919
25	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8CH	597817
26	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5UB	269603
27	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5VN	261797
28	500 रूपये का एक नोट नम्बर	2UN	349290
29	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5AR	283671
30	500 रूपये का एक नोट नम्बर	9QM	453057
31	500 रूपये का एक नोट नम्बर	2MG	995532
32	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8CR	645284
33	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7PG	718673
34	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1UC	748652
35	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7FU	822772
36	500 रूपये का एक नोट नम्बर	0DU	731533
37	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7MS	134746
38	500 रूपये का एक नोट नम्बर	0RL	147424
39	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7GQ	944524
40	500 रूपये का एक नोट नम्बर	4LB	699388
41	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1WL	803932
42	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1AE	775281
43	500 रूपये का एक नोट नम्बर	6KB	381257
44	500 रूपये का एक नोट नम्बर	9RQ	409668

परिवादी द्वारा पेश किये गये उक्त समस्त नोटो पर श्री गजाराम वरिष्ठ सहायक से ब्यूरो कार्यालय के मालखाने से फिनोफ्थलीन की शीशी को मंगवाया जाकर उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों ओर फिनोफ्थलीन लगवाकर गजाराम वरिष्ठ सहायक से परिवादी की पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जेब में कोई शैः न छोडते हुए रखवाये जाकर फर्द दृष्टांत फिनोफ्थेलीन एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिकिया प्रदर्शित कर बतायी थी एवं उसके मंतव्य से अवगत कराया था। रिश्वती राशि देने के पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाइल अथंवा श्री मुनीर मोहम्मद हैड कानि के मोबाइल पर मिस कॉल अथवा समय मिलने पर कॉल कर रिश्वती राशि दे देने से संबंधित ईशारा बताया। मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने तथा श्री मुनीर मोहम्मद हैड कानि के भी मोबाइल नम्बर परिवादी को दिये गये। परिवादी को लेनदेन वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर सुपूर्द किया गया। ट्रेप पार्टी के समस्त सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। तत्पश्चात आरोपीगण श्री चेतन्य प्रकाश पंवार ADC व धीरज शर्मा DCO की निगरानी हेतु ब्यूरो के अधिकारी/कर्मचारियों की टीमें बनाकर रवाना की गयी। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक हरिश्चन्द्र सिंह द्वारा परिवादी श्री दिग्विजय सिंह मय डिजिटल टेप रिकार्डर के श्री करणसिंह हैड कानि. के साथ परिवादी की निजी कार से ब्रिटीश फार्मा मधुबन उदयपुर के लिए रवाना करते हुए उनके पीछे पीछे मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतन्त्र गवाह श्री पुरूषोतम आचार्य, श्री अशोक कुमार मय ब्यूरो टीम के जरिये प्राईवेट वाहन से वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर मधुबन स्थित ब्रिटिश फार्मा, महावीर कॉम्पलेक्स से कुछ दूरी पहले पहुंच वाहनों को साईड में खडा कर परिवादी को वार्ता रिकॉर्ड करने की हिदायत देकर डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ऑन करा ब्रिटिश फार्मा के लिए रवाना किया। परिवादी के पीछे पीछे मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाप्ता भी महावीर कॉम्पलेक्स के आसपास अपनी उपस्थिति छिपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे के इंतजार में खडे रहे। कुछ समय पश्चात् परिवादी बिना किसी ईशारे के ब्रिटिश फार्मा से बाहर आकर मन् पुलिस निरीक्षक के पास आया। परिवादी ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किया जिसको बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख लिया। परिवादी ने बताया कि मैं महावीर कॉम्लेक्स में प्रथम तल पर स्थित ब्रिटिश फार्मा में जाकर उसके मालिक श्री अंकित से मिला एवं श्री चेतन्य प्रकाश पंवार ADC व धीरज शर्मा DCO के द्वारा मांगी गयी रिश्वती राशि उनके कहे अनुसार अंकित को देने की बात कही तो अंकित ने मुझे बताया कि मेरी इस

संबंध में श्री चेतन्य प्रकाश पंवार ADC व धीरज शर्मा DCO से बात नहीं हुई। जिस पर मैंने दिनांक 11–6–22 को मेरी मेडिकल शॉप पर श्री चेतन्य प्रकाश पंवार ADC व धीरज शर्मा DCO के द्वारा मेरे से रिश्वत राशि मांग संबंधी संपूर्ण बात बतायी थी। जिस पर अंकित ने मुझे कहा कि मैं उनसे बात करके आपको फोन करके बता दूंगा आप मुझे अपने मोबाइल नम्बर बता देवे। जिस पर मैंने अपने मोबाइल नंबर अंकित को दिये। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान, परिवादी, स्वतंत्र गवाहान अपने अपने वाहनों से मधुबन से रवाना होकर समय 2.30 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये। तत्पश्चात् समय 3.12 पी.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ही ब्रिटिश फार्मा के मालिक श्री अंकित ने अपने मोबाइल से परिवादी के मोबाइल पर कॉल किया तो श्री अंकित ने कहा कि "मेरी साहब से बात हो गयी है आप आ जाओ।" उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाइल का स्पीकर ऑन कर ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गयी। किन्तु श्री चेतन्य प्रकाश पंवार ADC व धीरज शर्मा DCO जो अपने कार्यालय एवं निवास स्थान पर नहीं होकर ब्यूरो की निगरानी में नहीं होने से दिनांक 13–6–22 को परिवादी को दलाल श्री अंकित के पास रिश्वत राशि लेनदेन हेतु नहीं भेजा गया। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही दिनांक 14–6–22 को आयोजित की जाने से परिवादी की पेंट की जेब में रखी रिश्वती राशि स्वतंत्र गवाह श्री अशोक कुमार से निकलवायी जाकर एक खाकी लिफाफे में रखकर ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखवायी जाकर ट्रेप बॉक्स को मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया। मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी, दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाप्ता को गोपनीयता बरतने की मुनासिब हिदायत दी जाकर दिनांक 14–6–22 को प्रातः 8.30 बजे ब्यूरो कार्यालय उदयपुर पर उपस्थित होने की हिदायत देकर रूखसत किया था।

दिनांक 14.06.2022 को पाबंदशुदा परिवादी श्री दिग्विजय सिंह, स्वतंत्र गवाहान श्री पुरूषोतम आचार्य, श्री अशोक कुमार एवं ब्यूरो जाप्ता ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। तत्पश्चात आरोपीगण श्री चेतन्य प्रकाश पंवार ADC व धीरज शर्मा DCO की निगरानी हेतु पूर्व में गठित टीमों को रवाना किया गया। चूंकि आरोपीगण श्री चेतन्य प्रकाश पंवार ADC व धीरज शर्मा DCO के बताये अनुसार रिश्वत लेनदेन की कार्यवाही दलाल श्री अंकित जैन से की जानी होने से श्री अंकित जैन की गोपनीय रूप से मालूमात की गयी तो श्री अंकित जैन अपनी दुकान ब्रिटिश फार्मा पर नहीं आना ज्ञात हुआ। तत्पश्चात दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ही समय 4.25 पीएम पर दलाल श्री अंकित जैन ने अपने मोबाइल से परिवादी के मोबाइल पर कॉल किया। वार्ता के दौरान दलाल श्री अंकित जैन ने परिवादी से कहा कि "थोडा टाईम लग रहा है मेरे घर पर कोई काम है इसलिए मैं दुकान पर भी नहीं आया हूँ बात तो साहब से हो ही गयी है या तो शाम को आओ या सुबह देखते है" परिवादी के मोबाइल का स्पीकर ऑन कर उक्त वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गयी। जिसके बाद दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष समय 4.46 पीएम पर परिवादी के मोबाइल फोन से दलाल श्री अंकित जैन के मोबाइल पर वार्ता करायी तो श्री अंकित ने परिवादी को रिश्वती राशि लेकर सवीना चौराहे पर ही आने के लिए कहा। उक्त वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गयी। तत्पश्चात ब्यूरो के मालखाने में रखा हुआ ट्रेप बॉक्स निकलवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में लिफाफे में पूर्व में रखी रिश्वती राशि 22,000 को स्वतंत्र गवाह श्री अशोक कुमार से निकलवायी जाकर रिश्वती राशि में अंकित नोटों के नंबरों का मिलान पूर्व में मूर्तिब की गयी फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट से दोनो स्वतंत्र गवाहान से कराया गया तो दोनो स्वतंत्र गवाहान ने नोटों के नंबरों का मिलान हुबहू होना बताया। तत्पश्चात उक्त रिश्वती राशि को स्वतंत्र गवाह श्री अशोक कुमार से परिवादी की पहनी हुई पेंट की आगे की दाहिनी जेब में रखवाये थे। तत्पश्चात दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाप्ते के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये व समय 4.55 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक हरिश्चन्द्र सिंह द्वारा परिवादी श्री दिग्विजय सिंह मय डिजिटल टेप रिकार्डर के श्री करणसिंह हैड कानि. के साथ परिवादी की निजी कार से सवीना चौराहा उदयपुर के लिए रवाना करते हुए उनके पीछे पीछे मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतन्त्र गवाह एवं ब्यूरो जाप्ता. मय लेपटोप, प्रिन्टर एवं ट्रेप बोक्स लेकर जरिये प्राईवेट वाहन से वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर समय 5.07 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के सवीना चौराहे से थोडी दूरी पहले सबसिटी सेंटर के पास पहुंच परिवादी के मोबाइल फोन का स्पीकर ऑन कर परिवादी के मोबाइल से दलाल श्री अंकित के मोबाइल पर कॉल कर वार्ता करायी तो श्री अंकित ने परिवादी को रिश्वती राशि लेकर सवीना चौराहे स्थित वर्द्धमान मेडिकल स्टोर के पास ही आने के लिए कहा। परिवादी के मोबाइल का स्पीकर ऑन कर उक्त वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की। समय 5.14 पी.एम. पर मन्

पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान सवीना चौराहे के पास पहुंच परिवादी श्री दिग्विजय सिंह को डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालू करने की हिदायत देकर वर्द्धमान मेडिकल स्टोर के पास रिश्वती राशि लेनदेन हेतु रवाना किया गया। हम सभी ब्यूरो जाप्ता, स्वतंत्र गवाहान वर्द्धमान मेडिकल स्टोर के आसपास ही उपस्थित रहकर परिवादी के निर्धारित ईशारे का इंतजार करने लगे तो समय 5.19 पीएम पर परिवादी ने श्री मुनीर मोहम्मद हैड कानि के मोबाइल पर कॉल कर रिश्वती राशि श्री अंकित को दे दिये जाने का पूर्व निर्धारित ईशारा किया। जिस पर श्री मुनीर मोहम्मद हैड कानि ने मन् पुलिस निरीक्षक को रिश्वती राशि दे दिये जाने बाबत बताया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाप्ता तेज–तेज कदमों से चलते हुए परिवादी के पास पहुंचे। जहां परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर पेश किया। जिसे मेरे द्वारा बंद कर सुरक्षित अपने पास रख लिया। दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी ने उक्त व्यक्ति की ओर ईशारा करते हुए बताया था कि "ये ही अंकित जैन है जो महावीर कॉम्पलेक्स मधुबन में स्थित ब्रिटिश फार्मा दुकान के मालिक है। श्री चेतन्य प्रकाश पंवार ADC व धीरज शर्मा DCO के कहे अनुसार ही श्री अंकित जैन ने अभी अभी मेरे से 22,000 रूपये रिश्वती राशि अपने हाथ से ग्रहण कर दोनो हाथो से गिनने के पश्चात अपनी पहनी हुई पेंट की पीछे की बायी जेब में रखी है।" जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना, स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाप्ते का परिचय देते हुए उक्त व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अंकित जैन पुत्र श्री इन्द्ररलाल जैन उम्र 25 वर्ष मूल निवासी गांधी चौक सराडा, पुलिस थाना सराडा जिला उदयपुर हाल निवासी किराये का मकान नं. 15 स्थित नया माछला मगरा, सेक्टर 11 उदयपुर हाल दुकान मालिक, ब्रिटिश फार्मा, मधुबन, उदयपुर (राज) होना बताया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी की ओर ईशारा कर श्री अंकित जैन से पूछा गया कि आप इनको जानते हो तो श्री अंकित जैन ने बताया कि "हां मैं इनको जानता हूँ। कल दिनांक 13–6–22 को मेरी दुकान पर आये थे और मेरी इनसे बातचीत हुई थी।" तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री अंकित जैन से परिवादी से ग्रहण की गयी रिश्वत राशि 22,000 रूपये ग्रहण करने के बारे में पूछा तो अंकित जैन ने बताया कि "मैंने इनसे कोई रिश्वती राशि नहीं ली है। हमारा आपसी लेनदेन है।" जिस पर परिवादी ने आरोपी के उक्त तथ्यों का खण्डन करते हुए बताया कि "अंकित जैन झूठ बोल रहा है, मेरी अन्जु मेडिकल स्टोर के नाम से मेडिकल शॉप है जो ग्लास फैक्ट्री शोप न. 7, सुन्दरवास उदयपुर में है। दिनांक 11–06–2022 को औषधि अनुज्ञापत अधिकारी व सहायक औषधि नियन्त्रक व डग्र कन्टोलर अधिकारी श्री चेतन्य प्रकाश पंवार ADC व धीरज शर्मा DCO मेरी दुकान पर आये और नारकोटिक्स व अन्य दवाईयो का लेखा जोखा उसी समय उपलब्ध कराने की धमकी देने लगे। लेखा जोखा उसी समय नहीं उपलब्ध कराने पर फर्जी नारकोटीक केस दर्ज करने की धमकी देते हुए मुझसे रिश्वत राशि की मांग की और 8000 रूपये मेरे से ले लिये तथा शेष 22,000 रूपये ब्रिटिश फार्मा पर अंकित को देने के लिए कहा। जिस पर मैं इसके कहे अनुसार बताये स्थान पर लेकर आया। जहां पर अंकित ने श्री चेतन्य प्रकाश पंवार ADC व धीरज शर्मा DCO के लिए मुझे सवीना चौराहे पर बुलाकर मुझसे 22000 रूपये रिश्वती राशि मांगकर अपने हाथ से ग्रहण कर गिनकर ली जो अपनी पेंट की पिछे की बायी जेब में रखी है।" जिस पर आरोपी श्री अंकित जैन कुछ नहीं बोलकर चुप हो गया। आरोपी श्री अंकित जैन की पिछे की बायी जेब उभरी हुई पायी गयी। उक्त स्थान चौराहा होकर वाहनों की आवाजाही होने से कार्यवाही के लिए उपयुक्त स्थान नहीं होने से मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाप्ता, परिवादी, आरोपी श्री अंकित जैन को यथास्थिति में साथ लेकर अपने–अपने वाहनों से ब्यूरो कार्यालय उदयपुर रवाना हुए। आरोपीगण श्री चैतन्य प्रकाश पंवार एवं श्री धीरज शर्मा की निगरानी में गठित टीमों को भी उक्त दोनो आरोपीगण को डिटेन करने एवं उनके निवास की खानातलाशी हेतु निवेदन किया गया।

मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान, आरोपी श्री अंकित जैन के ब्यूरो कार्यालय उदयपुर पर पहुंच अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए आरोपी श्री अंकित जैन के द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करना स्वीकार करने के उपरान्त प्रकियानुसार हाथ धुलाई की कार्यवाही दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष प्रारम्भ करते हुए प्राईवेट वाहन में से ट्रेप बॉक्स को मंगवाया, जिसमे से दो साफ कॉच की गिलासों में साफ पानी भरवाकर इनमें एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। एक कॉच की गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री अंकित जैन के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगूठे एवं दूसरी कांच की गिलास में आरोपी श्री अंकित जैन के बाये हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को डूबोकर धुलवायी

गयी। उक्त दोनो घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ। दाहिने हाथ के धोवन की शीशीयों पर मार्क आर एच 1, आर एच 2 एवं बाये हाथ के धोवन की शीशीयों पर मार्क एल एच 1, एल एच 2 अंकित करा सिलचिट कर चिट व कपड़े पर दोनो गवाहान एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री अशोक कुमार से आरोपी श्री अंकित जैन की पेंट की तलाशी लिवायी गयी तो आरोपी श्री अंकित की पहनी हुई पेंट की पीछे की बायी जेबं से 500–500 रूपये के नोट मिले। जिन्हें स्वतंत्र गवाह श्री अशोक कुमार से गिनवाये गये तो 44 नोट 22000 रूपये होना पाया गया। जिनका मिलान पूर्व में मूर्तिब फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट से कराया गया तो नोटो के नंबरों का मिलान हुबहू होना पाया गया। उक्त नोटो पर सफेद कागज की चिट लगाकर सिलचिट कर दोनो गवाहान, परिवादी एवं आरोपी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिये गये। इसके उपरांत आरोपी के पहने हुए पेंट की पिछे की बायी जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी की अन्य पेंट मंगवाकर पहनी हुई पेंट को सम्मान उतरवाकर ट्रेप बॉक्स में से एक साफ गिलास निकलवाकर उसमें साफ पानी भरवाकर इनमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिन्हें दोनो स्वतन्त्र गवाहान व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। उक्त घोल में आरोपी की पहनी हुई पेंट की पिछे की बायी जेब को उलटवाकर डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ, जिसे हाजरीन ने स्वीकार किया। इस घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर बन्द करा मार्क पी–1 व पी–2 अंकित करा सिलचिट कर चिट व कपड़े पर दोनो गवाहान, परिवादी एवं आरोपी के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात उक्त पेंट की पिछली बायी जेब को सुखवाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करा एक सफेद कपडे की थैली में रखवायी जाकर कपडे की थैली को सिलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके उपरान्त घटनास्थल सवीना चौराहे पर पहुंच घटनास्थल निरीक्षण किया जाकर फर्द तैयार की गई। इसके उपरान्त सवीना से रवाना हो एसीबी कार्यालय उदयपुर पहुच परिवादी एवं आरोपी श्री अंकित जैन के मध्य दिनांक 14–6–22 को मोबाईल एवं लेन–देन वार्ताओ के वक्त हुई वार्ता जो कि ब्यूरों के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई, उक्त वार्ताओं की पृथक पृथक मूल एव डब सीडियॉ तैयार की जाकर वार्ताओ की पृथक पृथक फर्द ट्रास्क्रिप्ट तैयार की गई। तत्पश्चात् ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त मेमोरी कॉर्ड जो कि ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर में लगा हुआ है, उक्त मेमोरी कार्ड को भी पृथक से मेमोरी कार्ड के कवर में रखकर एक कपडे की थैली मे रखकर सिलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करा कब्जे ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री धीरज शर्मा को उसकी निगरानी में गठित टीम अधिकारी श्री हेरम्ब जोशी पुलिस उप अधीक्षक मय जाप्ता के द्वारा आरोपी श्री धीरज शर्मा को उथरदा से डिटेन कर ब्यूरो कार्यालय उदयपुर पर उपस्थित आये। तत्पश्चात आरोपी श्री चैतन्य प्रकाश पंवार को उसकी निगरानी में गठित टीम अधिकारी श्री रतन सिंह पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता के द्वारा आरोपी श्री चैतन्य प्रकाश पंवार को उसके निवास स्थान मकान न. 2 धुलकोट चौराहे उदयपुर से डिटेन कर खानातलाशी ली जाकर उपस्थित आये। मन् पुलिस निरीक्षक ने डिटेनशुदा आरोपी श्री धीरज शर्मा से पूछताछ की गयी तो आरोपी श्री धीरज शर्मा ने बताया कि दिनांक 11–6–22 को मैं तथा एडीसी साहब श्री चैतन्य प्रकाश पंवार के साथ इंस्पेक्शन करने के लिए सुंदरवास प्रतापनगर की तरफ आये थे। उसी दिन हमने नशीली दवायें पकडकर पुलिस थाना प्रतापनगर में एनडीपीएस के केस के संबंध में शिकायत दी थी और पुलिस वाले कार्यवाही कर रहे थे फिर हम अंजू मेडिकल स्टोर ग्लास फैक्ट्री सुंदरवास गये थे। मैं पानी की बोतल लेने पास की दुकान पर गया था वापस आया तो एडीसी साहब चैतन्य जी और अंजू मेडिकल स्टोर वाले गाडी में बैठकर बात कर रहे थे। एडीसी साहब ड्राईवर के पास वाली सीट पर बैठे थे और अंजू मेडिकल स्टोर वाले पीछे वाली सीट पर बैठे थे मैं पानी की बोतल लेकर ड्राईवर की सीट पर बैठ गया। उस वक्त एडीसी साहब अंजू मेडिकल स्टोर वाले को मोबाइल में कुछ लिखकर डिमांड कर रहे थे। मोबाइल में क्या लिखा मैं नहीं देख पाया और मेडिकल की दुकानों के नाम आपस में ले रहे थे। फिर अंजू मेडिकल स्टोर वाले गाडी से निकलकर दुकान में गये और कुछ देर में वापस आकर गाडी में बैठ गये। बाकी के पैसे ब्रिटिश फार्मा पर रखने के लिए बताया था। फिर हम वहां से चले गये थे। पूछने पर यह भी बताया कि दिनांक 11–6–22 का अंजू मेडिकल स्टोर का इंस्पेक्शन का मेमो हमने नहीं बनाया था। मैं एडीसी साहब के कहने पर उनके साथ आया था। तत्पश्चात दिनांक 11–6–22 की रिश्वत मांग सत्यापन की रिकॉर्डशुदा वार्ता की डब सीडी कार्यालय के लेपटॉप से चलाकर सुनायी गयी तो आरोपी श्री धीरज शर्मा ने उक्त वार्ता में एक

आवाज अपनी स्वयं की होना तथा दूसरी आवाज श्री चैतन्य प्रकाश पंवार तथा अन्य आवाज श्री दिग्विजय सिंह, अंजू मेडिकल स्टोर वाले की होना बताया था। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक ने डिटेनशुदा आरोपी श्री चैतन्य प्रकाश पंवार से पूछताछ की गयी तो आरोपी श्री चैतन्य प्रकाश पंवार ने बताया कि हमने दिनांक 11–6–22 को एनडीपीएस की कार्यवाही की थी और पुलिस थाना प्रतापनगर से वापस आते वक्त मैं और धीरज साथ में गये थे। गाडी धीरज की थी और गाडी धीरज ही चला रहा था। अंजू मेडिकल स्टोर से आगे पानी की बोतल लेने गया था। वहां से पानी की बोतल ली। मैंने इनसे कोई पैसे की डिमांड नहीं की और न ही मैं अंजू मेडिकल स्टोर वालो से मिला। अंजू मेडिकल स्टोर पर मैंने तीन चार साल पहले इंस्पेक्शन किया था। तत्पश्चात दिनांक 11–6–22 की रिश्वत मांग सत्यापन की रिकॉर्डशुदा वार्ता की डब सीडी कार्यालय के लेपटॉप से चलाकर सुनायी गयी तो आरोपी श्री चैतन्य प्रकाश पंवार ने उक्त वार्ता में एक आवाज अपनी स्वयं की होना तथा दूसरी आवाज श्री धीरज शर्मा तथा अन्य आवाज श्री दिग्विजय सिंह, अंजू मेडिकल स्टोर वाले की होना बताया था।

आरोपीगण श्री चैतन्य प्रकाश पंवार सहायक औषधि नियंत्रक, श्री धीरज शर्मा, औषधि नियंत्रक अधिकारी, कार्यालय सहायक औषधि नियंत्रक, बडी जिला उदयपुर एवं दलाल श्री अंकित जैन ब्रिटीश फार्मा के मालिक को जुर्म धारा 7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 एवं 120 बी भा.द.सं. के तहत गिरफ्तार किया गया। आरोपीगण श्री चैतन्य प्रकाश पंवार, श्री धीरज शर्मा एवं श्री अंकित जैन को उनकी आवाज का नमूना देने हेतु पत्र दिया गया जिसके क्रम में आरोपीगणों द्वारा उक्त मूल पत्र पर ही अपनी आवाज का नमूना नही देने बाबत् प्रतियुत्तर लिखित में पेश किया गया। तत्पश्चात आरोपीगण श्री चैतन्य प्रकाश पंवार, श्री धीरज शर्मा एवं श्री अंकित जैन की जामा तलाशी में मिले मोबाईल को वजह सबूत ब्यूरों द्वारा जप्त किया जाकर कब्जे ब्यूरों लिया गया। तत्पश्चात जप्तशुदा आर्टीकल्स एवं रिश्वत राशि, सीडीयों को सुरक्षित ब्यूरो इकाई उदयपुर मालखाने में रखवाया गया। तथा दोनो स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी, इमदाद हेतु आये हुए समस्त जाप्ते को बाद हिदायत ब्यूरो कार्यालय से रुखसत किया गया।

इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से यह पाया गया है कि आरोपीगण श्री चैतन्य प्रकाश पंवार हाल सहायक औषधि नियंत्रक व श्री धीरज शर्मा औषधि नियन्त्रक अधिकारी, कार्यालय सहायक औषधि नियंत्रक, बडी जिला उदयपुर के द्वारा एक लोकसेवक होते हुये अपने वैद्य पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से अपने दलाल श्री अंकित जैन दुकान मालिक, ब्रिटीस फार्मा महावीर काम्पलेक्स, मधुबन उदयपुर से आपसी मिलीभगत करते हुए आरोपीगण श्री चैतन्य प्रकाश पंवार एवं श्री धीरज शर्मा औषधि नियन्त्रक अधिकारी ने दिनांक 11–6–22 को परिवादी श्री दिग्विजय के मेडिकल शॉप अन्जु मेडिकल स्टोर स्थित सुंदरवास उदयपुर के नारकोटिक्स व अन्य दवाईयो का लेखा जोखा नहीं उपलब्ध कराने पर नारकोटीक केस दर्ज करने की धमकी देते हुए 50,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग करते हुए परिवादी के द्वारा काफी हाथाजोडी करने पर रिश्वती राशि 30,000 रूपये लेने के लिए सहमत होकर परिवादी से दिनांक 11–6–2022 को ही 8000 रूपये मांगकर ग्रहण करना तथा शेष रिश्वती राशि 22,000 रूपये अपने दलाल श्री अंकित जैन, दुकान मालिक, ब्रिटीस फार्मा महावीर काम्पलेक्स, मधुबन उदयपुर को देने के लिए कहा। जिस पर दिनांक 14–6–22 को दलाल श्री अंकित जैन ने परिवादी को रिश्वती राशि 22,000 रूपये लेकर बताये स्थान सवीना चौराहा स्थित वर्धमान मेडिकल स्टोर के पास बुलाया। जहां पर आरोपीगण श्री चैतन्य प्रकाश पंवार हाल सहायक औषधि नियंत्रक व श्री धीरज शर्मा औषधि नियन्त्रक अधिकारी के बताये अनुसार दलाल श्री अंकित जैन ने दिनांक 14–6–22 को परिवादी से 22,000 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण कर अपनी पहनी हुई पेंट की पिछे की बायी जेब से रखी। उक्त राशि ब्यूरो द्वारा बरामद की गयी।

इस प्रकार आरोपीगण श्री चैतन्य प्रकाश पंवार हाल सहायक औषधि नियंत्रक व श्री धीरज शर्मा औषधि नियन्त्रक अधिकारी, कार्यालय सहायक औषधि नियंत्रक, बडी जिला उदयपुर के द्वारा एक लोकसेवक होते हुये अपने वैद्य पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से अपने दलाल श्री अंकित जैन दुकान मालिक, ब्रिटीस फार्मा महावीर काम्पलेक्स, मधुबन उदयपुर से आपसी मिलीभगत करते हुए आरोपीगण श्री चैतन्य प्रकाश पंवार एवं श्री धीरज शर्मा औषधि नियन्त्रक अधिकारी, कार्यालय सहायक औषधि नियंत्रक, बडी जिला उदयपुर के द्वारा परिवादी श्री दिग्विजय सिंह, निवासी C–23, प्रतापनगर उदयपुर पेशा मेडिकल

शॉप अन्जु मेडिकल स्टोर ग्लास फैक्ट्री शोप न. 7, सुन्दरवास उदयपुर के नारकोटिक्स व अन्य दवाईयो का लेखा जोखा नहीं उपलब्ध कराने पर नारकोटिक का केस दर्ज करने की धमकी देते हुए 50,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग करते हुए परिवादी के द्वारा काफी हाथाजोडी करने पर रिश्वती राशि 30,000 रूपये लेने के लिए सहमत होकर परिवादी से दिनांक 11–6–2022 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के दौरान ही 8000 रूपये मांगकर ग्रहण करना तथा शेष रिश्वती राशि 22,000 रूपये अपने दलाल श्री अंकित जैन, दुकान मालिक, ब्रिटीस फार्मा महावीर काम्पलेक्स, मधुबन उदयपुर को दिलवाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है जो कि धारा 7, 7 ए पी.सी. (संशोधित) एक्ट 2018 व 120 बी भा.द.सं. के तहत दण्डनीय अपराध है।

अतः आरोपीगण श्री चैतन्य प्रकाश पंवार हाल सहायक औषधि नियंत्रक व श्री धीरज शर्मा औषधि नियन्त्रक अधिकारी, कार्यालय सहायक औषधि नियंत्रक, बडी जिला उदयपुर एवं दलाल श्री अंकित जैन दुकान मालिक, ब्रिटिश फार्मा महावीर काम्पलेक्स, मधुबन उदयपुर के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् की सेवामें सादर प्रेषित है।

(हरिश्चंद्र सिंह)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों
उदयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री हरिश्चन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादसं में आरोपीगण 1. श्री चैतन्य प्रकाश पंवार, सहायक औषधि नियंत्रक, 2. श्री धीरज शर्मा औषधि नियंत्रक अधिकारी, कार्यालय सहायक औषधि नियंत्रक, बडी जिला उदयपुर, एवं 3. श्री अंकित जैन पुत्र श्री इन्द्रलाल जैन, मूल निवासी गांधी चौक, सराडा, पुलिस थाना सराडा, जिला उदयपुर हाल मकान नम्बर 15, नया माछला मगरा, सेक्टर 11, उदयपुर हाल दुकान मालिक, ब्रिटिश फार्मा, मधुबन, उदयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 239/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

15.6.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक:- 2104-08 दिनांक 15.06.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ग्रुप-2 विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।

15.6.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।